कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोडा सह बागेश्वर।

पत्रांक /आठ–भू0अ0 / वि0भू0अ0अ0 / 2020 दिनांकः 2020 ।

:– अधिसूचना :–

उत्तराखण्ड शासन, न्याय अनुभाग–2 संख्या 613 / XXXVI(2)25 / भूमि / 09 / 2020 देहरादूनः दिनांक 24 अगस्त, 2020 से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) तथा 40 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–19 के अधीन घोषणा करते है कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची उल्लखित भूमि के सार्वजनिक परियोजना अर्थात तहसील गरूड जिला बागेश्वर में सिविल जज (जू0डि0) गरूड के आवासीय एंव अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा–19 के अधीन बागेश्वर के कलेक्टर को निर्देश देते है कि कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

2– राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आवश्यक है, इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि यघपि धारा–23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है। बागेश्वर के कलेक्टर धारा–21 की उपधारा (1) में उल्लखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिन व्यतीत हो जाने पर उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुसूची में उल्लखित भूमि जो कृषि योग्य है, कब्जा सकते हैं।

– अनुसूची–

जिला	परगना	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
बागेश्वर	गरूड	पुरडा	0.203	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यक है:– ग्राम– परूडा, परगना–गरूड, तहसील–गरूड एंव जिला–बागेश्वर में सिविल जज (जू0डि0), गरूड के न्यायालय भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए।

टिप्पणी– उक्त भूमि के स्थल नक्शे (साइट प्लान) हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर मे निरीक्षण किया जा सकता है।

आज्ञा से,

हस्ताक्षर / –
(प्रेम सिंह खिमाल)
सचिव ।

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोडा।

पत्रांक 282 /आठ–भू0अ0 / वि0भू0अ0अ0 / 2020 दिनांकः 30-09-2020 ।

प्रतिलिपिः

1– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की विज्ञप्ति सूचना को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित, मिलान।

(गौरव पाण्डेय)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
अल्मोडा सह बागेश्वर।